


न्यायलय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

बनाम प्रवीण कुमार प्रथम पक्ष
अशोक प्रसाद द्वितीय पक्ष
 आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
 जिला-गिरिडीह ।

वाद संख्या 20 सन् 20 22

आदेश की क्रम सं० और तारीख	धारा 107 द०प्र०सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.
	<p>मैं थाना प्रभारी <u>बगोदर</u> के अप्राथमिकी संख्या <u>133.2021</u> के अवलोकन से सुतुष्ट हूँ कि दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच <u>कांड सं० 237.21 दि० 05.12.2021</u> को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। जो मेरे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है तदनुसार नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>25.02.2022</u> को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। </p>	

सेवामें

श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय
ज्योद्धर सरिता

प्रसंग :- ज्योद्धर भाना कांड सं 133/अ धारा 107/12/अ धारा
341/343/379/504/506/34 भा ६० विठ

विषय :- दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107 ए० प्र० ए० का निराकरण करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में साफ स्पष्ट कहना
है कि ज्योद्धर भाना अपराधमित्री सं 133/अ धारा 107 ए० प्र० ए०
का कार्य वही समाप्त करने की कृपा आज तक अन्य दोनों पक्षों
में सान्नी जहाल है। इस धारा 107 ए० प्र० ए० की धारा से
निराकरण करने की कृपा की जाय

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों
पक्षों में सान्नी जहाल है। इसलिए ज्योद्धर भाना अपराधमित्री 133/अ
की निराकरण करने की कृपा की जाय

अग्रसारित

याचना प्रमोदी
ज्योद्धर धाना



विश्वास भाषन

सीरठपुर

27/02/2022

२०३१०/मिठ

ज्योद्धर भाना

क्र. सं. तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.02.22	<p>अभिलेख उपस्थापित प्रथम पक्ष - अनुपस्थित द्वितीय पक्ष - उपस्थित अभिलेख दिनांक 04-03-22</p> <p style="text-align: right;">१८ </p>	
28/02/22	<p>अभिलेख उपस्थापित/ घाना प्रभारी बजोदर द्वारा उमय पक्षों के विरुद्ध प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध पत्र अभिलेख में संधारित है। घाना प्रभारी बजोदर के उक्त अनुरोध के आक्षेप में उमय पक्ष के विरुद्ध प्रारम्भ की गई वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। घाना प्रभारी, बजोदर का आखंडिक अनुरोध पत्र इस आदेश का अंग होगा।</p> <p style="text-align: right;">१८  28/02/22 SDM, Bagmati, Singu.</p>	